न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 409/2020
अनवान : –

1. सम्पतराम पुत्र जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जोतराम पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. हरदेवाराम 3. ओमप्रकाश 4. कमला देवी पुत्र व पुत्रीयान जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तोष 6. दयाराम 7. आत्माराम पुत्रगण स्व0 भागादेवी पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 के ख.न. 537 की कुल तादादी 12.0770 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसके पूर्व में वादी के दादा शकर पुत्र रतिराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा शकर पुत्र रतिराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर फौत हो चुके है। एवं बाद फौतदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से 16 बीघा भूमि भतेरी पत्नी राजाराम जाति मेघवाल को बैय कर दी है। एवं वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12. 0770 हैक्ट भूमि में से सयुक्त रूप से 8029/12077 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 बतौर कर्ता हिन्दु खादान दर्ज है एव प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक वहिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है तथा वादी अपने हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के साथ दर्ज करवा पाने का अधिकारी है इसलिए रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12.0770 हैक्ट भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 8029/12077 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 [illegible] 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब. हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी [illegible] खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। यही बिनाय [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:19 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। इसलिए रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12. 0770 हैक्ट भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 8029/12077 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 ब० हि०बत्र 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब. हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:19 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12. 0770 हैक्ट भूमि में से सयुक्त रूप से 8029/12077 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12.0770 हैक्ट भूमि में सयुक्त रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 8029/12077 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 ब० हि०ब 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 व 7 ब. हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 अकेला 1/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवापाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 7 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12.0770 हैक्ट भूमि में से सयुक्त रूप से 8029/12077 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 को ब० हि०ब0 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 व 7 को ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 अकेला को 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:19 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 409/2020

अनवान : –

1. सम्पतराम पुत्र जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जोतराम पुत्र शंकर जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. हरदेवाराम 3. ओमप्रकाश 4. कमला देवी पुत्र व पुत्रीयान जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. सन्तोष 6. दयाराम 7. आत्माराम पुत्रगण स्व0 भागादेवी पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 409 सन 2020 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 115/119 की कुल तादादी 12.0770 हैक्ट भूमि में से सयुक्त रूप से 8029/12077 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 को ब० हि०ब0 5/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 व 7 को ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 अकेला को 1/7 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:19 IST
Reason: SelfAttested